

492

ORDER

No. _____/EA3/E1

Dated _____

As per powers conferred upon me in terms of Rule 4.4 of CSR Vol-I, Part-I and in continuation of this office order No.8598/EA3/E1, dated 09.08.2011, the power of pay fixation and annual increment of Group-A officers of Headquarter as well as Haryana Roadways is, hereby, delegated to Additional Transport Commissioner-I.

Similarly, Chief Accounts Officer is, hereby, delegated the powers regarding pay fixation of Group-B officers of Headquarter & Haryana Roadways and annual increment of Group-B officers at Headquarter.

Dated Chandigarh, the
23.07.2013

Arun Kumar
Director General State Transport,
Haryana.

Endst.No. 6525-70 /EA3/E1

Dated Chandigarh, the 24/7/2013

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Secretary to DGST
2. Additional Transport Commissioner- I & II
3. Senior Mechanical Engineer, GCW, Haryana, Chandigarh.
4. All Officers at Headquarter.
5. All General Managers, Haryana Roadways.
6. General Manager/DTC, CW, Karnal/Hissar, DTI, Murthal.
7. Flying Squad Officer, ISBT, Delhi.
3. Order file.

Arum
for Director General State Transport,
Haryana, Chandigarh. &

प्रेषक

महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक (नाम से),
हरियाणा राज्य परिवहन,
2. उड़नदस्ता अधिकारी (नाम से),
आई.एस.बी.टी. दिल्ली।
3. महाप्रबन्धक/उप परिवहन नियंत्रक (नाम से),
राजकीय केन्द्रीय कर्मशाला,
हिसार/करनाल।
4. महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन (नाम से),
झाईवर ट्रेनिंग स्कूल मुरथल (सोनीपत)।


कमांक 5297-5322 ईए3/ई1

दिनांक 02-04-12

विषय:- श्रेणी I व II के अधिकारियों का वेतन निर्धारण करने बारे।
उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको अवगत कराया जाता है कि मुख्यालय के ध्यान में आया है कि अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति श्रेणी I व II में होने उपरान्त उनका वेतन निर्धारण कुछ महाप्रबन्धकों द्वारा अपने स्तर पर ही किया जा रहा है, जबकि उक्त श्रेणी के अधिकारियों के वेतन निर्धारण करने की शक्तियां मुख्यालय स्तर पर ही है, जिनके आदेशों की प्रति समय-2 पर आप सभी को जारी की जाती रही है, परन्तु इन आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे केसों में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण का प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करना चाहिए होता है। मुख्यालय द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति श्रेणी I व II में होने उपरान्त उनका वेतन निर्धारण सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा स्वयं अपने स्तर पर करने को गम्भीरता से लिया है।

अतः आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी विभागीय श्रेणी I व II के वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव को हिदायतों/नियमानुसार अपने कार्यालय के अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी से चैक करवाने उपरान्त मुख्यालय को प्रेषित किए जाए। यदि भविष्य में ऐसा कोई केस आपके द्वारा अपने स्तर पर किया गया पाया जाता है तो, उसे अति गम्भीरता से लिया जाएगा। इन हिदायतों के बारे में आप अपने कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया जाए।


कृते: महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।